

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 (वर्ष 2005 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या –22) की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा निम्न प्रकार से राज्य लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी नामित किए जाते हैं :-

क्र. सं.	लोक प्राधिकरण	राज्य लोक सूचना अधिकारी	कार्य क्षेत्र	अपील अधिकारी
1.	निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर	कृषि अधिकारी (प्र) प्रथम श्याम, मुख्यालय, जयपुर	दुर्गापुरा, जयपुर कैम्पस की सभी प्रकार की सूचना के लिए	उप निदेशक, कृषि संस्थापन, श्याम, दुर्गापुरा, जयपुर
2.	उक्त	सहायक निदेशक, कृषि, श्याम, कोटा	कोटा कैम्पस की सभी प्रकार की सूचना के लिए	सह निदेशक, श्याम कैम्पस, कोटा
3.	उक्त	सहायक निदेशक, कृषि, उद्यान, श्याम, टौक	टौक कैम्पस की सभी प्रकार की सूचना के लिए	सह निदेशक, श्याम कैम्पस, टौक